Lkjka'k

lkekftd çHkko ewY;kadu ifrosnu

e/kqiqj & ygjtksjh iFk fuekZ.k

vUrxZr nks xkao jkeiqj o egtksjh

उपायुक्त, देवघर (झारखण्ड) को समर्पित

AFC India Ltd.

(Formerly Agricultural Finance Corporation Ltd.)

(An ISO 9001-2008 Company)

(NSIC-CRISIL Performance and Credit Rating - "SE-2B")

Head Office : Dhanraj Mahal, CSM, Mumbai - 400001

Northern Regional Office: B 1/9, Community Centre, Janakpuri,

New Delhi - 110058

www.afcindia.org.in

fnlEcj **2016**

सारांश

कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमण्डल, देवघर द्वारा **मधुपुर–लहरजोरी पथ निर्माण व चौडीकरण** के लिये देवघर जिले के दो मौजा यथा–रामपुर, थाना संख्या–463 व महजोरी, थाना संख्या–455 की भूमि की अधियाचना दी गई है। इस परियोजना में पथ निर्माण व चौड़ीकरण प्रस्तावित है जो कि एक लोक प्रयोजन परियोजना है। इस सडक की चौडाई 22 फिट है। इस सडक के दोनों तरफ 22 फिट का खुला स्थान छोड़ा गया है जो कि पैदल पथ के लिये व भविष्य में मार्ग चौडीकरण में प्रयोग में लाया जा सकता है।

यह पाया गया है कि भूमि की आवश्यकता को निम्नतम रखा गया है। परियोजना निर्माण के लिए निर्माण सामग्री, जल, समग्र कार्यबल व अन्य स्थानीय आधरभूत सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती हैं।
यद्यपि परियोजना प्रस्तावक के द्वारा परियोजना के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता को न्यूनतम रखा गया है, फिर भी विस्थापन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए व पुनर्वास के लिए बेहतर ईंजिनीयरींग डिजाईन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। भूमि के अधिग्रहण में जहां तक सम्भव हो सके इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि बुनियादी ढांचों तथा सामुदायिक/सार्वजनिक सम्पत्ति को कम–से–कम नुकसान पहुँचाया जाय।

सडक बनने से सभी गांव वालो एवं आवागमन करने वालों को लाभ पहुंचेगा। प्रस्तावित परियोजना में रामपुर गांव में **4.81** एकड व महजोरी गांव में **2.31** एकड निजी भूमि की आवश्यकता है। परियोजना रेखाकिंत है तथा इसका कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में सडक बन चुकी है। सामाजिक प्रभाव कम करने के लिए भूमि अधिग्रहण न्यूनतम रखा गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0	गांव/थाना संख्या	मकान	बाडी अव्वल	बाडी दोयम	बाडी शोयम	कुल
1	रामपुर, 463	0.13	4.53	0.23	0.02	4.91
2	महजोरी, 455	-	2.31	-	-	2.31
कुल		0-13	6.84	0.23	0.02	7.22

सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण अक्टूबर, 2016 में प्रस्तावित परियोजना से सामाजिक–आर्थिक बिन्दुओं पर परियोजना से प्रभावित परिवारों के संदर्भ में किया गया।
प्रत्यक्ष रूप से प्रभवित हैं– 276 रामपुर–199, महजोरी – 77
कास्तकार हैं–**122** जोत का आकार छोटा हैं। क्षेत्र में भूमि अविक्रयशील है।
अनुसूचित जाति–**52**
अनुसूचित जनजाति–**2**
आवासीय भवन–**136**
प्रभावित परिवारों में **26** महिला प्रधान परिवार हैं व **4** निशक्त व्यक्ति मिले हैं।

भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के नियमावली, 2015 –झारखण्ड सरकार के अर्न्तगत निर्धारित प्रावाधानों के अनुरुप किया जा रहा है तथा यह नियम इस सामाजिक मूल्यांकन को झारखण्ड राज्य के भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम, 2013, भारत सरकार के अनुसार है। पुनर्व्यस्थापन कार्यान्वयन योजना का उद्येश्य परियोजना के फलस्वरुप प्रभावित होने वाले परिवारों का न केवल भौतिक पुनर्व्यवस्थापन करना है, वरण उनके जीवन में गुणात्मक सुधार भी लाना है। यह अध्ययन भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के द्वारा निर्धारत मापदण्डों के अनुरुप किया जा रहा है।

समाजिक प्रभाव प्रबन्धन के लिए सभी प्रभावित परिवारों को उनकी भूमि का उचित मूल्य झारखण्ड सरकार की अधिसूचना के अनुसार भुगतान किया जाएगा। जिन परिवारों के घर प्रभवित हो रहे हैं उनको दूसरा घर बनाने के लिए समुचित धनराशी का भुगतान किया जाएगा जिससे वे लोग अपने लिए दूसरा घर बना कर उसमे रह सकें। अतः सभी प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। भूमि अर्जन और पुनर्वासन और परियोजना प्रभवित परिवारों के पुनर्वासन के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैः–

- भूमि क्षतिपूर्तिः मुआवजे के रुप में अधिग्रहण की दर झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या– 8बी./भू.अ.नि. संथाल परगना–58/2016 863/नि.रा.,दिनांक–16.12.16 के अनुसार तय राशी का 4 गुणा।
- मकानः मकान बनाने का खर्च रु 150000/– प्रति मकान।

- स्थानांतरण भत्ता रु 10000/— विस्थापन के मामले में।
- जीवनयापन भत्ता रु 3000/. प्रति माह 12 माह तक कुल रु 36000/—।
- एक बार का पुर्ननिवास/ पुनर्वासन भत्ता रु 50000/—।
- पेड : आंकी गई कीमत का 2 गुणा।
- निबंधन खर्च यदि हो।

भूमि का मूल्यांकन

क. स.	भूमि की किस्म	भाव/एकड	भूमि एकड	राशि रु0
1	बाडी–1	767250/-	6.84	5247990.00
2	बाडी–2	613800/-	0.23	141174.00
3	बाडी–3	613800/-	0.02	12276.00
4	मकान	1227600/-	0.13	159588.00
	कुल–		**7.22**	**5561028.00**

राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार 7.22 एकड भूमि का मूल्य रु **5561028/—** बनता है। इसको 4 से गुणा करके कुल भूमि की कीमत होगी **रु 22244112/—**। इसके अतिरिक्त मकान व पेड़ हैं जिनकी कीमत उनके मालिको को दी जायगी। एक औसत पेड़ की कीमत रु० **1000/—** आंकी गई है।

देवघर जिले के मारगोमुण्डा थाना एवं करौं अंचल अंर्तगत 2 गांव की जमीन का अधिग्रहण होगा। प्रस्तावित परियोजना के अंर्तगत कृषि योग्य भूमि, मकान व पेड आदि ही आते हैं।

इस क्षेत्र में 136 मकान, 9 स्नानघर, 25 चारदिवारी व 1 छोटी दुकाने हैं जो कि सडक के (ROW) मे आती हैं। 2013 के अधिनियम 30 के अनुसार प्रत्येक मकान के एवज मे मकान बनाने का खर्च रु0 1.50 लाख दिया जायेगा, छोटी दुकान के लिये 25000/— देने का प्रावधान किया गया है। स्नानघर व चारदिवारी के लिए मुआवजा विभागीय अभियन्ता द्वारा प्राक्कलन करके दिया जायेगा।

vk; cgkyh यह पाया गया है कि परिवारों की आंशिक भूमि ही ली जा रही है और परिवार की आय पर माप योग्य प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। इसलिये आजीविका का प्रावधान नहीं किया गया है।

खर्च आकलन

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन का अनुमानित खर्च **तालिका** में दिया गया है जो कि लगभग रु 37509.11 हजार है।

मुआवजा पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन की लागत का विवरण रु हजार

क.	विवरण	पात्रता	इकाई	मात्रा	दर	रकम
1	स्थाई निजी भूमि का * अधिग्रहण– मूल्य व मुआवजा– 276 परिवार	राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार मूल्य का 4 गुणा	एकड़	7.22		22244.11
2.	पेड	आंकी कीमत का 2 गुना	एकमुश्त	72	2	144.00
3	संरचनाओं का अधिग्रहण **					
3.1	आवासीय परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए	प्रभावित क्षे□ क□ बराबर	प्रति इकाई	136	150	2040.00
3.2	स्नानघर ***		प्रति इकाई	9		
3.3	चारदिवारी ***			25		
3.4	छोटी दुकान			1	25	25.00
4.	निर्वाह भत्ता विस्थापित परिवारों क□लिए	एक वर्ष की अवधि क□लिए रु 3000/–प्रतिमाह	परिवार	136	36	4896.00
5.	विस्थापित परिवारों क□लिए स्थानांतरण भत्ता	स्थानांतरण भत्ता एक मुश्त राशि 10000 रुपय□	प्रति परिवार	136	10	1360.00
6.	एक बार पुनर्वासन व पुनर्निवश□ भत्ता	सभी प्रभावित परिवारों क□लिए	प्रति परिवार	136	50	6800.00
	कुल लागत					**37509.11**

* राज्य सरकार ने अधिग्रहण की दर झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या–8बी./भू.अ.नि. संथाल परगना–58/2016 863/नि.रा., दिनांक–16.12.16 के अनुसार तय की है।

** मुआवजा विस्थापित परिवारो को तभी देय होगा जबकि वह मकान व भूमि को खाली करके कब्जा परियोजना अधिकारी को सोंप दें।

*** मुआवजा विभागीय अभियन्ता द्वारा प्राक्कलन करके दिया जायेगा।

निष्कर्ष

मधुपुर–लहरजोरी पथ निर्माण व चौड़ीकरण के लिए दो गांवों में कुल–**7.22** एकड भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है। **कुल–276** परिवार प्रभावित होंगे। प्रभावित भूमि पर **136 मकान** तथा सम्बन्धित संरचनाये हैं। समुचित मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है जिसमें लगभग **रु0 37509.11** हजार का खर्च आएगा।

सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण करते हुए सभी प्रभावित परिवारों से सर्म्पक किया गया है। यह सडक बन चुकी है तथा सभी परिवारों ने सहमती दे दी है तथा तुरंत मुआवजा भुगतान करने की मांग भी है। सभी प्रभावित परिवारों की सभी आवश्यकताओं को प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।